

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक : प.1(ग)()का / एस.एम.ई. / डी.एल.बी. / 17 / 16382

दिनांक 27/7/17

-: आदेश :-

राजस्थान नगर पालिका (अधिनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा) नियम 1963 के नियम 22 (1)के प्रावधानों के अन्तर्गत फायरमैन के रिक्त पदों पर निम्नांकित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित नगर निगम/परिषद/पालिकाओं में नियुक्ति दिये जाने की एतद् द्वारा निर्देशानुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र.स.	रोल नम्बर	नाम	जन्म तिथि	वर्ग	निकाय का नाम
1	21745184392	श्री मनीष कुमार शर्मा	18/08/1994	GEN	जयपुर
2	21420147651	श्री महेश कुमार सिरोहिया	10/12/1995	GEN	लालसोट
3	41451166553	श्री सकिल अहमद	10/10/1983	GEN	बारा
4	41410169498	श्री नाथू सिंह	18/07/1986	GEN	उदयपुरवाटी
5	41106134343	श्री अजूर्न सिंह	20/07/1986	GEN	राजलदेशर
6	41738194140	श्री मुकन्द कुमार पाण्डेय	08/05/1987	GEN	राजसगन्द
7	41419170934	श्री वीरेन्द्र नाथ चौहान	31/08/1987	GEN	देवगढ
8	41453158447	श्री आशीष कुमार गालव	07/06/1989	GEN	लाखेरी
9	11103134850	श्री जितेन्द्र सिंह शानावत	12/09/1990	GEN	रावतभाटा
10	21409143935	श्री नरेन्द्र कुमार	10/01/1991	OBC	सूरतगढ
11	22147202004	श्री बसंत कुमार	27/09/1991	OBC	सुमेरपुर
12	21422142695	श्री जामधन	05/07/1992	OBC	बालोतरा
13	41452157862	श्री पप्पू राम मीणा	05/05/1989	ST	रामगंजमण्डी
14	41835198087	श्री सुनील कुमार सिनोलिया	01/12/1995	SC	नवलगढ
15	21409143974	श्री रघुवीर	05/13/1983	SC	जयपुर
16	41423174320	मनोहरि सेषमा	15/02/1987	OBC	मकराना
17	41455160515	पूनम	05/10/1989	OBC	गंगापुर सिटी
18	42046201563	सीमा	07/06/1991	OBC	श्रीगंगानगर
19	21104128365	सीमा मीणा	02/09/1994	ST	भिवाडी
20	41410169905	पदमा जयपाल	13/05/1987	SC	बेगू
21	21835196331	श्री देशराज	08/05/1986	OBC	फतेहपुर (शेखावाटी)
22	21106130338	श्री कविन्दर यादव	12/09/1986	OBC	तिजारा
23	21455141059	श्री कमलेश कुमार मील	09/05/1989	OBC	चुरू
24	21743188623	श्री लादू राम	12/12/1989	OBC	जालौर

- 01 अभ्यर्थियों की पात्रता एवं न्यूनतम छः माह की अवधि के लिये आयोजित बैसिक एलिमेन्ट्री फायरमैन ट्रेनिंग कोर्स उत्तीर्ण संबंधी प्राथमिक जांच विभाग द्वारा की जा चुकी है, किन्तु अभ्यर्थी की पात्रता एवं न्यूनतम छः माह की अवधि के लिये आयोजित बैसिक एलिमेन्ट्री फायरमैन ट्रेनिंग कोर्स उत्तीर्ण संबंधी जांच एवं प्रमाण पत्र जारी करने वाली संस्था के रजिस्ट्रेशन एवं मान्यता

- सबधी जांच संबंधित निकाय के आयुक्त/उपायुक्त/अधिशाषी अधिकारी द्वारा अपने स्तर पर की जाकर ही नियुक्ति आदेश जारी करावे। नगरीय निकाय द्वारा जारी नियुक्ति आदेश के अनुसरण में पदभार ग्रहण करने के उपरान्त ही फिक्स वेतन नियमानुसार देय होगा।
02. यह चयनित अभ्यर्थियों की सूची, अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के परीक्षण के अध्यक्षीन रहेगी। किसी अभ्यर्थी का चयन गलत दस्तावेज प्रस्तुत करने के आधार पर हो गया हो तो उक्त नियुक्त अभ्यर्थी के नियुक्ति आदेश एवं सेवाएँ तुरन्त प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
 03. फायरमैन पद पर चयनित अभ्यर्थियों को सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक से पुलिस चरित्र सत्यापन करवाने के बाद ही नियुक्ति दी जावे।
 04. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सरकारी चिकित्सक से स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
 05. उपरोक्त कार्मिकों को वित्त विभाग के आदेश संख्या: एफ.12(2)एफडी/रूल्स/ 2005 दिनांक 20.04.2006 में वर्णितानुसार निर्धारित समयावधि तक फिक्स रेम्यूनरेशन देय होगा।
 06. यह आदेश आयोग के सम्बन्धित रिकार्ड एवं चयनित अभ्यर्थी के दस्तावेजों व अन्य शर्तों के आधार पर सहवन या अन्य कारण से हुई त्रुटि को संशोधित किये जाने के अध्यक्षीन रहेगा।
 07. नगर निकायों को आवंटित चयनित फायरमैन इस आदेश के जारी होने की दिनांक से अधिकतम 15 दिवस की अवधि में आवंटित नगरीय निकाय के मुख्य नगरपालिका अधिकारी के समक्ष मूल दस्तावेज सहित लिखित आवेदन के साथ उपस्थित होंगे जिसको संबंधित निकाय द्वारा रिकार्ड पर लिया जावेगा। इस अवधि के पश्चात इस आदेश के अन्तर्गत फायरमैन पद हेतु चयनित अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण करने के अधिकारी नहीं होंगे और नियुक्ति का अधिकार स्वतः ही समाप्त हो जावेगा।
 08. उक्त नियुक्ति की कार्यवाही माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन याचिकाओं के निर्णयाधीन रहेगी।
- अतः इन्हे नियत समयावधि में नियमानुसार ड्यूटी ज्वाइन करवाई जाकर पालना रिपोर्ट विभाग को भिजवाये।

(पवन अरोडा)

निदेशक एवं संयुक्त
शासन सचिव

दिनांक : 27/7/17

क्रमांक : प.1(ग)()का/एस.एम.ई./डी.एल.बी./17/16383-16470

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वा.शा.वि., राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, सम्बन्धित नगर निगम/परिषद/पालिका को प्रेषित कर लेख है कि नियुक्ति सम्बन्धि कार्यवाही तत्काल सम्पादित करते हुए नियुक्ति आदेश की प्रति विभाग को आवश्यक रूप से भिजवायें। यदि कोई अभ्यर्थी किसी कारणवश पात्र नहीं पाया जाता है तो तत्काल विभाग को लौटाते हुए कारण सहित अवगत करावे।
4. समस्त उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।

5. अध्यक्ष/सचिव, राज्य स्तरीय राजस्थान नगर पालिका (अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा) आयोग, राज. जयपुर।
6. सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, निदेशालय को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाईट व सीएमएआर की वेबसाईट पर अपलोड करे।
7. कार्यालय अधीक्षक, निदेशालय को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु प्रेषित है।
8. सम्बन्धित श्री
9. सुरक्षित पत्रावली।


(अलका मीणा)
उप निदेशक (प्रशासन)